न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/05/2015	2015/00037	03.02.20 15	18.07.2022

1. मोहरपाल पुत्र प्रभाती लाल, जाति बैरवा, निवासी बहडको खुर्द, तहसील रैणी, जिला अलवर, हाल निवासी मकान न0 30/44 प्रथम गली, कल्याणपुरा रोड इन्दिरा नगर, अजमेर राजस्थान।

अपीलाण्ट

बनाम

1. हुकम चन्द पुत्र प्रभाती लाल, जाति बैरवा, निवासी बहडको खुर्द, तहसील रैणी, जिला अलवर, हाल निवासी मकान न0 272 फेस प्रथम गली न0 19, दयानन्द नगर झालाना डूंगरी, जयपुर राजस्थान।
2. ब्रजमोहन पुत्र प्रभाती लाल, जाति बैरवा, निवासी बहडको खुर्द, तहसील रैणी, जिला अलवर राजस्थान।
3. तहसीलदार राजगढ, तहसील राजगढ अलवर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 03.05.2012 नामान्तकरण विरासत संख्या 786 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ

उपस्थितः–

01. श्री रामबाबू कौशिक – वकील अपीलाण्ट
02. श्री दाताराम गुप्ता – रेस्पाडेन्ट सं0 01 व 02
03. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट सं0 03

–:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 03.05.2012 नामान्तकरण विरासत संख्या 786 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिसके द्वारा नामान्तकरण विरासत का स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री दाताराम गुप्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 899/1040 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ में स्थित है। जिस आराजी का 1/8 हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेंन्ट संख्या 01 व 02 के पिता स्व0 प्रभाती लाल बैरवा द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ जरिये बयनामा दिनांक 18.09.1990 को क्रय किया था तथा स्व0 प्रभाती लाल बैरवा व अन्य खरीददारों द्वारा क्रय किए गए हिस्से का बटवारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

मौके पर कर लिया था। प्रभाती लाल बैरवा द्वारा स्वयं के हिस्से में आई भूमि को दो भागों में विभक्त किया गया। उक्त भूमि को खरीदने के लिए अपीलान्ट द्वारा अपने पिता प्रभाती लाल बैरवा को राशि दी गई थी। उक्त भूमि को खरीदने के पश्चात प्रभाती लाल बैरवा द्वारा उसे अपने उपयोग उपभोग में लिया जाने लगा। इसी दौरान प्रभाती लाल बैरवा बीमार रहने लगा जिसके स्वास्थ्य में सुधार होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जिस पर प्रभाती लाल द्वारा उक्त क्रय की गई भूमि में स्वयं के हिस्से, जिसको की प्रभाती लाल बैरवा द्वारा दो भागों में प्लॉट के रूप में विभक्त किया हुआ था कि वसीयत स्वयं तहसील परिसर राजगढ अलवर में उपस्थित होकर अपीलान्ट के पक्ष में तहरीर कर पंजीबद्ध करा दी।

उक्त रजिस्टर्ड वसीयत प्रभाती लाल द्वारा क्रय की गई भूमि के संबंध में उनकी मृत्यु से पूर्व अंतिम वसीयत थी। इस वसीयत के अतिरिक्त अन्य कोई वसीयत अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में तहरीर नहीं की गई। इस प्रकार प्रभाती लाल बैरवा द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में तहरीर कर पंजीबद्ध कराई गई। वसीयत दिनांक 11.01.2002 कानूनी रूप से वैद्य है। खराब स्वास्थ्य के चलते दिनांक 28.02.2005 को प्रभाती लाल बैरवा का स्वर्गवास हो गया। जिसपर अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत थाना राजाजी को उक्त वसीयत व मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई। जिससे उक्त वसीयत के आधार पर खसरा न0 899/1040 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम थाना राजाजी, तहसील राजगढ में मृतक प्रभाती लाल बैरवा द्वारा की गई भूमि का इन्तकाल अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज हो सके। किन्तु पटवारी हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत थाना राजाजी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 से साज–बाज करते हुए अपीलान्ट द्वारा दी गई वसीयत के तथ्यों को छुपाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को गलत सूचना उपलब्ध कराई गई। जिससे भ्रमित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के द्वारा खसरा न0 899/1040 रकबा 0.33 ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ में मृतक प्रभाती लाल बैरवा द्वारा क्रय की गई भूमि का इंतकाल संख्या 786 अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पक्ष में दर्ज कर दिनांक 03.05.2012 को स्वीकार किया गया। जबकि वसीयत दिनांक 11.01.2002 के आधार पर खसरा न0 899/1040 रकबा 0.33 है0 थाना राजाजी तहसील राजगढ में मृतक प्रभाती लाल बैरवा द्वारा क्रय की गई भूमि का इंतकाल मात्र अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज होना चाहिए था जबकि प्रभाती लाल की मृत्यु के पश्चात से ही अपीलान्ट उक्त भूमि पर तन्हा काबिज है और अपने उपयोग उपभोग में ले रहा है।

इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 786 रैस्पोडेन्ट संख्या 03 के द्वारा अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पक्ष में स्वीकार फरमाया गया है जो बातिल व बेअसर करार दिए जाने योग्य है। अब रैस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 स्वंय के नाम गलत तौर पर दर्ज इंतकाल संख्या 786 के आधार पर आराजी खसरा न0 899/1040 रकबा 0.33 ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ से अपीलान्ट को जबरन बेदखल कर आराजी को दीगर शख्सों को बेचान कर उनपर कब्जा कराने के फिराक में हैं। जिसका इरादा रैस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने दिनांक 21.11.2014 को अपीलान्ट के समक्ष जाहिर कर दिया गया जिस पर अपीलान्ट को अपने अधिकारों की रक्षार्थ अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। यदि रैस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने इंतकाल संख्या 786 के आधार पर आराजी खसरा न0 899/1040 रकबा 0.33 से अपीलान्ट को जबरन बेदखल कर आराजी को दीगर शक्सों को मुन्तकिल कर उनका कब्जा करा दिया गया या आराजी को कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में अपीलान्ट के साथ व्यवधान उत्पन्न किया गया तो अपीलान्ट को नापूर्ति होने वाली क्षति उत्पन्न होगी जिसकी पूर्ति रेस्पोडेन्ट से भविष्य में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

किसी प्रकार से नही कराई जा सकेगी। अपीलान्ट द्वारा मियाद बिन्दु पर प्रार्थना अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 11.01.2002 की प्रति, नक्शा मौका आराजी की प्रति नामान्तकरण संख्या 786 दिनांक 03.05.2012 की प्रति जमाबंदी संवत 2068–2071, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रभाती लाल बैरवा दिनांक 28.02.2005 की प्रति एवं जमाबंदी संवत 2048–51, भूमि रूपान्तकरण पट्टा विलेख दिनांक 14.11.1990 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रैस्पोडेन्ट संख्या 03 के द्वारा आदेश दिनांक 03.05.2012 इंतकाल विरासत संख्या 786 को निरस्त फरमाया जाकर मुताबिक रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 11.01.2002 के आधार अपीलान्ट के पक्ष में दर्ज करवाने के आदेश फरमावें।

रैस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया है कि तहसीलदार राजगढ ने मृतक श्री प्रभाती लाल जो अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के पिताजी थे, का इंतकाल विरासत दिनांक 03.05.2012 को दर्ज व तस्दीक किए जाने का आदेश सादिर फरमाया है। जिसकी बाबत अपीलान्ट को शुरू से ही जानकारी थी एवं विवादित इंतकाल तस्दीक किए जाने के बाद अपीलान्ट कम से कम 50 बार घर पर आया है और उसको विवादित इंतकाल की पूर्ण रूप से जानकारी थी। यह गलत है कि अपीलान्ट को विवादित इंतकाल की बाबत सर्वप्रथम दिनांक 21.11.2014 को जानकारी हुई हो। स्वर्गीय श्री प्रभाती लाल का जो इंतकाल विरासत तस्दीक किया गया है वो सही प्रकार से तस्दीक किया गया है। जो कारण अपीलान्ट ने मौजूदा अपील में दर्ज किए हैं वो सुसंगत/पर्याप्त/उचित कारण नहीं हैं एवं अपीलान्ट धारा 05 कानूनी मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील मियाद बिन्दु दफा 05 खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि उक्त प्रश्नगत आराजी से संबंधित नामान्तकरण संख्या 786 दिनांक 03.05.2012 अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के पक्ष में दिनांक 03.05.2012 को स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 11.01.2002 के अनुसार आराजी खसरा न0 899/1040 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम थाना राजाजी में स्थित है। जिसका पहले काबिज खातेदार काश्तकार श्री चुन्नीलाल पुत्र छोटेलाल जाति माली निवासी ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ था उक्त आराजी का 1/8 हिस्सा अन्य व्यक्तियों के साथ जरिये बयनामा दिनांक 18.09.1990 को अपीलान्ट के पिता प्रभाती लाल ने क्रय किया था। उक्त आराजियात का खातेदार प्रभातीलाल द्वारा अपने पुत्र मोहरपाल के हक में वसीयतनामा लिखवाया गया। उक्त पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 11.01.2002 का विरासत नामांतकरण संख्या 786 दिनांक 03.05.2012 वाके ग्राम थाना राजाजी में कोई उल्लेख नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नामांतकरण स्वीकार कर्ता अधिकारी तहसीलदार राजगढ द्वारा विरासत का नामांतकरण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

स्वीकार करते समय संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इसीलिए तहसीलदार द्वारा तस्दीक विरासत नामान्तकरण संख्या 786 दिनांक 03.05.2012 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.05.2012 नामान्तकरण संख्या 786 वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा की विधिवत जांच कर एवं संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/07/2022

(वंदना खोरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)